

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 435 OF 2023**

IN THE MATTER OF:

JASBIR SINGH

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

... RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply affidavit on behalf of the Respondent No. 3 – Mathura Vrindavan Development Authority	1 - 10
2.	<u>ANNEXURE – R/1</u> A true copy of the complaint letter dated 17.03.2023	11 - 14
3.	<u>ANNEXURE – R/2 (Colly)</u> A true copy of the conditions mentioned in the sanctioned maps dated 10.05.2011 and revised map dated 05.09.2011	15 - 16
4.	<u>ANNEXURE – R/3 (Colly)</u> A true copy of the letters dated 15.04.2023 and 29.05.2023	17 - 18
5.	<u>ANNEXURE – R/4</u> A true copy of the letter dated 03.06.2023	19 -
6.	<u>ANNEXURE – R/5</u> A true copy of the letter dated 09.08.2023	20
7.	<u>ANNEXURE – R/6 (Colly)</u> A true copy of the letter dated 26.09.2023 along with the colony estimate and reminder-1 letter dated 17.10.2023	21 - 23
8.	<u>ANNEXURE – R/7</u> A true copy of the reply dated 19.01.2024 submitted by the directors of the colony	24 - 25

9.	<u>ANNEXURE – R/8</u> A true copy of the report dated 19.01.2024 submitted by the Junior Engineer	26
10.	VAKALATNAMA	27

NEW DELHI

DATE: 25.01.2024

Through



(RACHIT MITTAL)

Advocate for Respondent No. 3
Mathur Vrindavan Development Authority
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201 301
Uttar Pradesh
Mob.: +91 9873997047
Email: rachit@rmlawchambers.in



**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 435 OF 2023**

IN THE MATTER OF:

JASBIR SINGH

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

... RESPONDENTS

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 3 –
MATHURA VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY**

I, Sumit Kumar S/o Shri Shiv Narayan aged about 27 years working as Assistant Engineer, Mathura Vrindavan Development Authority, Mathura, U.P., presently at Noida do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I, in the aforesaid capacity, am well conversant with the facts and circumstances of the case derived from information from the record. Hence, I am competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the application so preferred by the Applicant and have understood the contents thereof.
3. That the abovementioned application was listed before this Hon'ble Tribunal on 30.10.2023 wherein this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:



"2. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to seek response thereto from (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Principle Secretary, Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Mathura-Vrindavan Development Authority, Mathura, (4) Nagar Nigam

Sum
25.01.24

Mathura-Vrindavan (5) District Magistrate, Mathura (6) UPPCB, and (7) M/s. S.J.P. Global Limited, Mathura who stand impleaded as respondents no. 1 to 7. The Registry is directed to prepare memo of O.A No. 435/2023

Jasbir Singh Vs. State of U.P. & Ors. 2 parties and attach the same with the application and to issue notices to respondents no. 1 to 7. 3. Mr. Arvind Kumar, Advocate has appeared for respondent no. 6UPPCB and Ms. Ranu Purohit Advocate has appeared for respondent no. 7-the project proponent and they accept notices on their behalf and seek time for filing of their reply/response.

4. Reply/response by respondent no. 1 to 7 be filed within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 29.01.2024."

4. That the Applicant made a complaint dated 17.03.2023 addressed to the Chairman/Divisional Commissioner, Mathura Vrindavan Development Authority. The relevant extracts of the said complaint are as under:

"a. The MVDA sanctioned Shree Radha Florence Colony which was constructed and developed by the S. J. P. Global Limited. For selling those colonies, the advertisements were published. After consulting with the director and subordinate employees of the company regarding the facilities, House No. P-23 was duly purchased by my wife Mrs. Hemlata Singh but the facilities were not present at the ground level. It appears that the builder deliberately committed fraud with us.

b. According to the sanctioned map no. 108/ V/ 2011-12 there are some deficiencies in the construction of the house which are as:

- i. There is a provision for a staircase for every Simplex Villa in the map, which was not constructed by the company.*
- ii. The Drain System is not as per the map, which causes the obstruction every day.*
- iii. The level of the backyard is lower than the house, which is not as per the map.*
- iv. DN door and wall are not in accordance with the map.*
- v. No suitable place for the installation of the water tank.*



Ran
25.01.24

c. The following development works were not done by the builder in accordance with the sanctioned map no.104/ T/ 2010-11:

- i. No construction of the two ponds.
- ii. No construction of the Primary School.
- iii. The approved area of green area G6 is 6856.37 sq. mtrs whereas in reality, it is approximately 1000 sq. mtrs. and the same is also undeveloped.
- iv. Approved area green area G7 is 478.35 sq. mtrs. whereas in reality, it is approximately 200 sq. mtrs. and which is not developed yet. The measurements of the green areas G1, G3, G4, and G5 have not been completed yet.
- v. All Open Area (OP) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 20, 22, 23, 24, and 25 paved footpaths of 3-meter width are approved whereas in actual of 1 meter.
- vi. The Measurements of Open Areas 08,09,10,11,12,120,13,14,15,16,17,18,19 have not been completed yet.

d. Apart from the above, the applicant has complained till the end of paragraph 2 of the complaint to the effect that as per the government order, arrangements for rainwater harvesting have not been made and the dirty water of the drains is also being directly restored. Landscaping has not been done and trees have not been planted to develop green areas, keeping in mind the rules of greenery. There is a problem of electricity, water is not available 24 hours, there is no garbage disposal system in the colony, STP has not been constructed, Rs 15,000/- per house was taken for the swimming pool, but it has not been constructed. No objection was to be obtained from the Pollution Department within 02 months, but it has not been obtained. Rs 60,000/- per house was taken as maintenance fee which has not been deposited in any bank. There was a provision of greenery in the publicity material. 29 plots are mortgaged under the authority, out of which 10 plots have been released. Despite several complaints, no action has been taken against the builder by MVDA. Therefore, the new planning project of this company should not be approved.



A true copy of the complaint letter dated 17.03.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R/1

5. That in pursuant to the aforementioned complaint, the following actions have been taken to resolve the issues:

By
25.01.24

i. Map of Shree Radha Florence Colony bearing map no. 104/ V-10-11 dated 10.05.2011 and revised map dated 05.09.2011 was issued by the answering Respondent, wherein 8 terms and conditions were mentioned which are as follows:

a. The construction work will be carried out as per the sanctioned map.

b. There shall be no encroachment on the land of government or Municipality by any part of constructed work and nor project on them.

c. After obtaining permission for the construction, the permission holder shall inform this development authority (answering Respondent) about the work progress.

d. The said permission shall be valid only for five years, within which it will be mandatory to give the completion certificate, and the approved period for the completion of the construction can be extended only for one year onwards on the request of the permission holder but such extension of time will be subjected to the rules and regulations prevailing at that time. The completion of construction after the approved time will be considered as illegal construction.

e. Any newly constructed, re-constructed, or altered constructed building will not be allowed to be occupied till the time unless a certificate is submitted from the



Sms
25.01.24

Municipal Corporation, Mathura stating that the building is as per the rules and regulations and is habitable for living.

f. The aforementioned construction shall be done under Rules 79 and 30 of the Indian Electricity Rules 1957 and in that regard, full responsibility will be of the builder.

g. Shall make a provision for rainwater harvesting.

h. On the marked site, the trees shall be planted such as Burflower trees, Ashoka trees, etc.

A true copy of the conditions mentioned in the sanctioned maps dated 10.05.2011 and revised map dated 05.09.2011 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R/2 (Colly)**

- ii. That in pursuant to the above complaint made by the Applicant, the Secretary, MVDA issued a letter no. 78 dated 16.04.2023 and letter no. 18 dated 29.05.2023 to M/s S.J.P Global Limited, Mr. Sudeep Aggarwal, son of late Mr. Jamuna Prasad, resident of 111 Jamunadham, Govardhan Chauraha, Mathura wherein it was informed that Mrs. Hemlata, wife of the Applicant has duly purchased house no. P-23. It was further informed that due to lack of adequate facilities, a complaint has been lodged through I.G.R.S., hence please ensure to inform after providing basic facilities failing which an action will be taken under relevant sections of Uttar Pradesh Urban Planning and Development



34m.
25.01.24

Act 1973 and it was expected to be informed by the Applicant regarding the action taken.

A true copy of the letters dated 15.04.2023 and 29.05.2023 are annexed herewith and marked as ANNEXURE – R/3 (Colly).

- iii. Thereafter, the Executive Engineer, MVDA vide letter no.118 dated 03.06.2023 informed that since there was no compliance in terms of the letters dated 15.04.2023 and 29.05.2023, therefore, M/s S.J.P. Global Ltd Mr. Sudeep Aggarwal, son of late Mr. Jamuna Prasad, resident of 111 Jamunadham, Govardhan Chauraha, Mathura should come physically in the office of the answering respondent on 06.07.2023 with evidence of action taken, so that the complaint lodged by the Applicant can be disposed.

A true copy of the letter dated 03.06.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R/4

- iv. That after the above, the Applicant submitted a complaint dated 08.07.2023 stating that Shri Radha Florence Colony has not done any development work as per the sanctioned map. It was further stated that according to the sanctioned map, the Green Area G-6 admeasuring of 6858.37 sq. mtrs. and there is a primary school admeasuring of 1000 sq. mtrs. just adjacent to it, thus there should be 7858.37 square meters of land but only 2000 sq. mtrs. of land is left on the site. Further, it was stated by the Applicant in his complaint that the builder has already sold 5856 sq. mtrs. and out of that 2000 sq. meters, the builder



Su
25.01.24

wants to sell 1000 sq. mtrs. Therefore, it was requested by the Applicant that the builder should be restrained from doing so.

- v. That pursuant to the said complaint, the Assistant Engineer, MVDA issued a letter no. 47 dated 09.08.2023 to the company informing that the wife of the Applicant has duly purchased house no. P-23 and due to lack of adequate facilities, a complaint has been lodged through I.G.R.S., hence please ensure to provide the required facilities failing which an action will be taken under relevant sections of Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act 1973.

A true copy of the letter dated 09.08.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R/5**

- vi. That in pursuant to the complaints lodged by the Applicant, the OSD, Mathura Vrindavan Development Authority, Mathura has issued a letter no. 1454 dated 26.09.2023 and a reminder-1 letter dated 17.10.2023 to the Colony Director, Mr. Sudeep Agarwal, along with the Colony Estimate dated 01.09.2011 informing that the complainant/Applicant herein has mentioned in his complaint letters that the developer has declared in his affidavit dated 04.06.2022 that plot no. B-04, B-05, B-06, C-17, and C-18, have been mortgaged in favor of the answering Respondent, which has not been sold by him but as per the Applicant in his complaint, those plots have been sold. In the complaint made to the Pollution Control Board, it has been mentioned that rainwater harvesting, waste disposal,



By
25.01.24

green belts around the colony, trees in the parks of the colony, the drainage system in the colony, etc. have not been made in the developed colony. Therefore, it was informed to the director of the colony to be present before the OSD of the answering Respondent within three days for presenting his case failing which legal action will be taken on account of submitting a false affidavit and non-completion of development works.

A true copy of the letter dated 26.09.2023 along with the colony estimate and Reminder-1 letter dated 17.10.2023 are annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R/6 (Colly)**

- vii. That it is submitted that, while getting the map of the colony sanctioned, an estimate of 11 points was filed by the Colony Director, which was annexed by the answering respondent with its letter dated 26.09.2023, as a reminder to the Colony Director, in order to refresh the memory as above which was issued along with the letter dated 26.09.2023.
- viii. It is pertinent to mention here that in pursuant to the above letter dated 26.09.2023 and reminder letter dated 17.10.2023, a reply dated 19.01.2024 has been submitted by the Director of Shri Radha Florence Colony to the effect that as per the estimate of the colony, all the development were carried out in accordance with the rules, the work has been carried out on the site as per the estimate presented before the answering Respondent at the time of map approval, out of which only the




25.01.24

construction of the community building is left. It was further stated by the directors of the company that regarding the other facilities, it was stated by the directors that those facilities are not in the ambit of the jurisdiction of the answering Respondent. It was further stated by the directors that only after the construction of the community building by the company, the mortgaged plot no. B02 B04, B05, C-17, C-18, and C-19 of this colony will be released.

A true copy of the reply dated 19.01.2024 submitted by the directors of the colony is annexed herewith and marked as **ANNEXURE – R/7.**

ix. It is pertinent to mention here that since the community building in accordance with the sanctioned map has not been constructed till date, the six plots of the said colony bearing plot no. B-2, B-5, C-17, C-18 and C-19 remains mortgaged by the developer of the colony with the answering Respondent. It was also duly informed to the directors of the colony to complete the construction of the community building as per the sanctioned map and it was further directed to provide the required facilities to the colony residents as mentioned during the sanctioning of the maps.



x. That as far as the question arises regarding the establishment of STPs and rainwater storage systems, management of waste disposal, and any development of a green belt around the boundaries of the colony by the builder of Shree Radha Florence Colony. It is submitted that the answering Respondent

Sym
25.01.24

directed its Junior Engineer to submit a report regarding resolving the said issues which was submitted on 19.01.2024.

A true copy of the report dated 19.01.2024 submitted by the Junior Engineer is annexed herewith and marked as

ANNEXURE – R/8

6. It is submitted that the answering respondent has always been vigilant in exercising its duties and fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times and will comply with the orders/ directions passed by this Hon'ble Tribunal from time to time.

[Signature]

DEPONENT


VERIFICATION: -

The contents of the above reply affidavit from paragraphs 1 to 6 are true and correct as per the official records. Nothing is wrong therein and nothing material has been concealed there from.

Verified at Noida today on this 25th day of January 2024

[Signature]

DEPONENT



ATTESTED

[Signature]
Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478

25 JAN 2024

[Signature]
25.01.24

ANNEXURE-R-1

संलग्नक - ①

सेवा में,

DATE: 17/03/2023

श्रीमान CHAIRMAN / DIVISIONAL COMMISSIONER

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल साइन्स, मथुरा

उत्तर प्रदेश (281001)

विषय : एस. जे. पी. ग्लोबल लिमिटेड कम्पनी, मथुरा के विन्ड शिकायती पत्र ।

महोदय,

एस. जे. पी. ग्लोबल लिमिटेड कम्पनी द्वारा श्री राधा फ्लोरेस, वृन्दावन कॉलोनी का निर्माण किया गया जो की मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनी है तथा उक्त कॉलोनी मकान को विक्रय करने हेतु विधिवत विज्ञप्तियां/विज्ञापन सुविधाओं यक्त प्रकाशित कराये गए और कम्पनी के डायरेक्टर व अधीनस्थ कर्मचारियों से पूछताछ करने पर बताया गया सुविधाओं से प्रभावित होकर मैंने आपकी उपरोक्त कॉलोनी में मकान न0 पी-23 को भेरी पत्नी हेमलता सिंह ने विधिवत क्रय किया ।

महोदय जिन सुविधाओं का वायदा बिल्डर ने किया था वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रही ऐसा प्रतीत होता है कि ये बिल्डर द्वारा हम सब मकान क्रेताओं के साथ सोच समझ कर धोखा धड़ी की है ।

महोदय,

स्वीकृत मानचित्र संख्या 108/V/2011-12 के अनुसार भवन निर्माण में निम्न कमियां हैं:

- प्रत्येक सिम्प्लेक्स विला में झीना(Staircase) का प्रावधान है जो कि कम्पनी द्वारा नहीं बनाया गया है
- ड्रेन सिस्टम भी मानचित्र अनुसार नहीं है, उसकी वजह से आये दिन नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं ।
- बैकयार्ड का तल मकान से नीचा है, मानचित्र में ऐसा नहीं है ।
- DN दरवाजा और दीवार मानचित्र अनुसार नहीं हैं ।
- पानों की टंकी लगाने का कोई उपयुक्त स्थान नहीं है ।

1. अनुमोदित मुख्य मानचित्र संख्या 104/V/2010-11 के अनुसार बिल्डर द्वारा विकास कार्य भी नहीं कराये गए हैं ।

- दो सालावों का निर्माण नहीं कराया गया है
- प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया है ।
- श्रीन एरिया GB का स्वीकृत क्षेत्र 6856.37 वर्ग मीटर है जबकि वास्तविक



मे ये लगभग 1000 वर्ग मीटर ही है एवं इसको विकसित भी नहीं किया गया है।
 च) ग्रीन एरिया G7 का स्वीकृत क्षेत्र 478.35 वर्ग मीटर है जबकि वास्तविक मे ये लगभग 200 वर्ग मी० ही है और अभी तक इसको विकसित भी नहीं किया गया है ग्रीन एरिया G1,G3,G4 एवं G5 की भी पैमाइस भी पूरी नहीं है।

ग) ओपन एरिया (OP) 01,02,03,04,05,06,07,20,22,23,24,25 उक्त सभी की चौड़ाई 3 मीटर का पक्का फुटपाथ स्वीकृत है जो कि वास्तव में 01 मीटर है।

घ) ओपन एरिया 08,09,10,11,12,12A,13,14,15,16,17,18,19 इन सभी की पैमाइस भी पूरी नहीं है।

2. शासनादेश के अनुसार बिल्डर द्वारा रेन वाटर हार्वैस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है, कई जगह पाया गया है की जो आधी अधूरी रेनवाटर हार्वैस्टिंग की व्यवस्था की गयी है उसमें नाली/सीवेज के पाइप भी जोड़ दिए गए हैं। सड़क का पानी भी इसी में जोड़ा गया है, बारिश के समय नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं और नालियों का गन्दा पानी भी सीधा Restore किया जा रहा है।

3. शासनादेश के अनुसार लैंड स्केपिंग नहीं की गयी है। हरियाली के नियमों को ताक पर रख कर कॉलोनी को एक कंक्रीट के जंगल के सामान बना दिया गया है, वर्तमान मे ग्रीन एरिया G1 के अतिरिक्त पूरी सोसाइटी में एक भी पेड़ नहीं है। गर्मियों में हालात अत्यधिक विषम हो जाते हैं। कालोनी परिसर में चारों ओर समुचित हरित पद्धिका विकसित नहीं की गयी है।

बिल्डर द्वारा भर्त न किये जाने की वजह से जल भराव की समस्या है क्योंकि सड़क एवं मुख्य नाला सोसाइटी से ऊँचा है।


4. 486 मकान/प्लॉट्स हैं उक्त कॉलोनी में मानचित्र अनुसार, और लगभग 300 परिवार वर्तमान में निवास भी कर रहे हैं बिल्डर ने विद्युत् व्यवस्था के लिए 250 KVA ट्रांसफॉर्मर लगाया था जो कि अब बदलकर 400 KVA कर दिया गया है लेकिन अब भी हालात वही हैं, अधिक लोड होने के कारण वोल्टेज का बहुत उतार चढ़ाव होता है जिससे घरेलू विद्युत् पलित उपकरण खराब हो जाते हैं।

5. 24 घंटे पानी की व्यवस्था कर चापदा किया गया था जो कि दो घंटे भी नहीं मिल पाता जिसका TDS 3000 से भी अधिक है।

पीने योग्य पानी की बिल्डर द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

6. कॉलोनी में कूड़ा निस्तारण की कोई भी व्यवस्था नहीं है, खाली प्लाट या सड़क पर ही कूड़ा फेंका जाता है, इस कारण सोसाइटी में बीमारी भी फैल सकती है।


7. छेस अपशिष्ट प्रबंधन STP का निर्माण भी नहीं कराया गया है।




8. स्विमिंग पूल एवं क्लब का निर्माण बिल्डर द्वारा अभी तक नहीं कराया गया जब की इस सुभिधा के एवेज में रुपये 15,000/- प्रति मकान/भूखण्ड शुल्क बिल्डर पहले ही ले चुका है. बिल्डर इस रकम हड़पना चाहता है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक कम्पनी द्वारा स्विमिंग पूल एवं क्लब निर्माण के लिए प्राधिकरण से स्वीकृति भी नहीं ली गयी है।
9. सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बिल्डर ने नहीं लिया है। जबकि ये कम्पनी को मुख्य मानचित्र की स्वीकृति के दो माह के अन्दर प्राधिकरण में जमा करना था।
10. बिल्डर के द्वारा रुपये 60,000/- प्रति मकान/भूखण्ड रखरखाव शुल्क लिया गया है उक्त कुल रकम बिल्डर ने किसी भी बैंक में अलग खाते में जमा कर ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। बिल्डर इस रकम को भी हड़पना चाहता है।
11. बिल्डर द्वारा दी गयी प्रचार सामग्री में प्रत्येक विला के बाहर हरियाली का प्रावधान था जो कि है नहीं।
12. बिल्डर द्वारा दी गयी प्रचार सामग्री में परियोजना का CRISIL 6 रेटिंग एप्रूव्ड बताया गया था जो कि है नहीं।
13. श्री राधा फ्लोरेस के 29 भूखण्ड मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधीन बंधक हैं तथा सम्पूर्ति प्रमाण पत्र मिलने के उपरान्त ही वे अवमुक्त हो सकते हैं ऐसा मुख्य मानचित्र में दर्शाया गया है परन्तु उक्त में से 10 भूखण्ड प्राधिकरण द्वारा किस आधार पर अवमुक्त कर दिए गए हैं (सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी अनुसार), क्या ये नियमानुसार है ?
अभी तक बिल्डर द्वारा सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया गया है (सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी अनुसार) फिर कैसे 10 बंधक भूखण्ड अवमुक्त कर दिए गए ?

महोदय बिल्डर द्वारा बंधक भूखंड विक्रय किये जा चुके हैं जिसका विवरण इस प्रकार है -

PLOT No.	Registration No.	Registration Date	PLOT No.	Registration No.	Registration Date
B2	4278	30-03-2013	C17	15322	18-10-2014
B3	3663	20-03-2013	C18	15882	05-11-2014
B5	4117	29-03-2013	C19	6472	07-06-2016
B6	4170	29-03-2013	C20	4899	06-05-2016
B11	2743	04-03-2016	F12A	1289	29-01-2021
B12	9150	19-10-2020	F14	1288	29-01-2021
B15	4289	31-03-2013			





महोदय इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिलने 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है वर्ष-2012 से ही बिल्डर ने रजिस्ट्री करना आरंभ कर दिया था और सभी विला एवं भूखण्ड विक्रय भी किये जा चुके हैं लेकिन अभी तक विकास कार्य नहीं हुए, कम्पनी मालिक हमसे मिलते नहीं और अधीनस्थ कर्मचारी आश्वासन देते रहते हैं, महोदय ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण का कार्य केवल स्वीकृति देना है जाँच एवं निगरानी करना नहीं क्यूं कि अगर ऐसा नहीं है तो बिल्डर के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हुयी, क्यों कम्पनी के नए प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति मिली ।

महोदय मैंने इस सन्दर्भ में उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, मुख्य अभियंता जी, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता जी मंजूविभागे मथुरा को स्वैम मिलकर कई बार अवगत करा चुका हूँ, शिकायती पत्र भी लिख चुका हूँ । परन्तु अभी तक प्राधिकरण द्वारा बिल्डर के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है ।

पूर्व में की गयी शिकायतों का विवरण

S.No.	Date	Medium	Addressee
1	21-08-2021	Indian Post-RU696153347IN	Vice Chairman, MVDA
2	31-08-2021	By Hand	Vice Chairman, MVDA
3	23-11-2021	Indian Post-EU506342639IN	Vice Chairman, MVDA
4	23-11-2021	By Hand	Vice Chairman, MVDA

महोदय से पुनः निवेदन है कि बिल्डर के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोरतम कार्यवाही करने की कृपा करें एवं जब तक बिल्डर कालोनी का पूर्ण विकास नहीं करता एस. जे. पी. ग्लोबल लिमिटेड कम्पनी और उसके किसी भी डायरेक्टर/प्रमोटर की नयी परियोजना को स्वीकृत न किया जाये आपकी अति कृपा होगी ।

दिनांक: 17/03/2023

(Signature)

जसबीर सिंह पुत्र श्री कमल सिंह
निवास: डी-8, नटवर नगर मथुरा
पिन- 281001
फोन: 7830002266



ANNEXURE - R-2 (colly)

~~संख्या 2~~

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति
(साधा फ्लोरेस)

तलफाईल संख्या 104/11-10-11

श्री/श्रीमती/कुमारी सुदीप (अनुयायिका) पुत्र/पत्नी/पति श्री राजाजी ए. शाह
निवासी बस स्टेशन रोड 847/858, 051, 867 से 871, कोला-सुबाराज बाजारजिन्होंने प्रदेश, नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना पत्र
दिनांक 30/05/2010 को दिया। को निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों
के साथ आज दिनांक 10-5-11 से 09-5-19-2016 को दी जाती है।


- (1) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा।
- (2) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगरपालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा।
- (3) निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा-
 - (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि
 - (ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठाने से पूर्व
 - (ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गृह प्रवेश के पूर्व
- (4) दी गई अनुज्ञा केवल पाँच वर्ष के लिये मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता उचित समय के भीतर प्रार्थना करे तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए ओर बढ़ा दी जायेगी परन्तु यह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जायेगा।
- (5) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दी बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगर पालिका, मथुरा साटीफिकेट न प्रस्तुत किया जाय जिसमें यह लिखा हो कि इमारत हर प्रकार से नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है।
- (6) उपर्युक्त निर्माण इण्डियन इलेक्ट्रिकलिसिटी रूलस 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अनुसार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माण कर्ता की हो होगी।

(7) मानचित्र पर चरपा सबी शर्तें मान्य होंगी।

उपाध्यक्ष

मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण

मथुरा

Received
10/5/11

अलग 3 - (3)

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

32, सिविल लाइन्स, मथुरा

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति

(श्री. अशोक फ्लोरेन्स)

संयोजित प्रमाणपत्र संख्या 104/1/10711

श्री/श्रीमती/श्रीमान/श्रीमती सुदीप अग्रवाल पुत्र/पत्नी/पति श्री अशोक फ्लोरेन्स

निवासी संख्या नं० 844, 845, 846, 847, 848, 850, 851, 852, 868, 869, 870

स्थल: अना, चौका-सुबर्बन कॉम्प्लेक्स, वृन्दावन

जिन्होंने प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक 05/01/2011 को दिया। को निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के साथ आज दिनांक 22/01/2011 से 20/01/2011 को दी जाती है।

- (1) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।
- (2) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगरपालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा।
- (3) निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा-
 - (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि
 - (ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठने से पूर्व
 - (ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गृह प्रवेश के पूर्व
- (4) दी गई अनुज्ञा केवल पाँच वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता उचित समय के भीतर प्रार्थना करें तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जायेगी परन्तु वह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जायेगा।
- (5) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दो बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की अनुज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगरपालिका, मथुरा सार्टीफिकेट न प्रस्तुत किया जाय जिसमें यह लिखा होगा कि इमारत हर प्रकार के नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है।
- (6) उपर्युक्त निर्माण इण्डियन इलेक्ट्रिकल रूल्स 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अन्तर्गत किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
- (7) रैन वाटर हावैस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
- (8) स्थल पर वृक्ष कंदम्ब, अशोक आदि को लगाने होंगे।
- (9) गार्डन के प्रारम्भिक चरणों को पूरा करना होगा।

Received
mehamउपाध्यक्ष
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

ANNEXURE-R-3 (willy)

~~संलग्नक 5~~ (17)

कार्यालय : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

संख्या : 78 / ग0वृ0वि0प्रा0 / 2023-24

दिनांक: 15/04/2023

गै0 एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0
श्री सुदीप अग्रवाल
पुत्र स्व0 श्री जगुना प्रसाद,
111, जगुना धाग गोवर्धन चौसाहा,
मथुरा । Pjt No 201502

विषय : मानचित्र संख्या 104/वी/10-11 (श्री राधा फ्लोरेन्स कालोनी) के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण के द्वारा श्री राधा फ्लोरेन्स कालोनी वृन्दावन का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। उक्त कालोनी में समस्त सुविधाओं युक्त भवन/भूखण्डों का आवंटन समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आवंटित किये गये हैं। उक्त कालोनी में श्री जसवीर सिंह की पत्नी श्रीमती हेमलता सिंह ने मकान नं0-पी0-23 विधिवत कय किया गया है। उक्त भवन के सम्बन्ध में पर्याप्त सुविधाएँ न मिलने के कारण उनके द्वारा एक शिकायत आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से की गयी है। श्री जसवीर सिंह के पत्र को संलग्न कर आपके पास इस आशय से भेजा जा रहा है कि आप उनको आवंटित भवन संख्या-पी0-23 की मूलभूत सुविधाएँ उलब्ध करा दें तथा कृत कार्यवाही से अधोस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक : शिकायती पत्र की प्रति।

PIN number

PM 4:21

Sum.
15-4-23

(राजेश कुमार)
सचिव.

Scanned with OKEN Scanner

2/04/2023
15/04/23

हर घर तिरंगा । आजादी का अमृत महोत्सव-75 ॥

कार्यालय : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

संख्या : 18/AE/म0वृ0वि0प्रा0/2023-24

दिनांक 29/05/2023

श्री एस0जे0पी0 ग्लोबल लि0
श्री सुदीप अग्रवाल
पुत्र, एव0 श्री जमुना प्रसाद,
111, जमुना धाम गोवर्धन चौराहा,
मथुरा ।

विषय : मानचित्र संख्या 104/वी/10-11 (श्री राधा पलोरेन्स कालोनी) के सम्बन्ध में ।


उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण के द्वारा श्री राधा पलोरेन्स कालोनी वृन्दावन का मानचित्र स्वीकृत किया गया है। उक्त कालोनी में समस्त सुविधाओं युक्त भवन/भूखण्डों का आवंटन समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आदेशित किया गया है। उक्त कालोनी में श्री जसवीर सिंह की पत्नी श्रीमती हेमलता सिंह ने भवन संख्या 104/वी/10-11 में विधिवत क्रय किया गया है। उक्त भवन के सम्बन्ध में प्रयाप्त सुविधाएँ न मिलने के कारण उनके द्वारा पूर्व में व वर्तमान में भी शिकायत आई0जी0आर0एर0 के माध्यम से उपरोक्त श्री जसवीर सिंह के पत्र को संलग्न कर आपके पास इस आशय से भेजा जा रहा है। उक्त भवन के आवंटित भवन संख्या-पी0-23 की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा देगें तथा उक्त भवन के अधोस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करने का आदेश की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक : शिकायती पत्र की प्रतियाँ ।

29/5/23
सहायक अभियन्ता
म0वृ0वि0प्रा0, मथुरा

Sund
29/5/23

ANNEXURE-4



~~संकेत~~

कार्यालय : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

संख्या : 117 / ए.ए./गोवृ0वि0प्रा0/2023-24

दिनांक: 07/06/2023

गौ एसओजी0पी0 ग्लोबल डिव
श्री सुदीप अग्रवाल
पुन स्व0 श्री जगुना प्रसाद,
111, जगुना धाम गोवर्धन चौराहा,
मथुरा ।

विषय : मानचित्र संख्या 104/वी/10-11 (श्री राधा पल्लोरेन्स कालोनी) के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक प्राधिकरण के द्वारा श्री राधा पल्लोरेन्स कालोनी ग्लोबल वग मानचित्र स्वीकृत किया गया है। उक्त कालोनी में रागरत सुविधाओं युक्त भवन/गृहखण्डों/कालोनी का स्वीकृत मानचित्र के संगत रागरत विकास कार्य को पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुबन्ध एवं बन्धकनामा कराकर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण किये जाने थे। परन्तु आपके द्वारा विकास कार्य एवं मूलभूत सुविधाएँ पूर्ण नहीं की गयी हैं।

इस सम्बन्ध में कालोनी के श्री जसवीर सिंह पत्नी श्रीमती हेमलता सिंह ने भवन नं0-पी0-23 विधिवत क्रय किया गया है। उक्त भवन के सम्बन्ध में प्रयाप्त सुविधाएँ न मिलने के कारण उनके द्वारा अनेको बार शिकायत (जनसूचना एवं आई0जी0 आर0एस0 के माध्यम) से की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र संख्या-18/ए0ई0/गोवृ0वि0प्रा0/23-24 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा श्रीमती हेमलता सिंह पत्नी श्री जसवीर सिंह को आवंटित भवन संख्या-पी-23 की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु अपेक्षा की गयी थी।

परन्तु आपके द्वारा पत्र दिनांक 29.05.2023 के क्रम में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है, के सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री जसवीर सिंह के शिकायतके पत्र दिनांक 17.03.2023 के क्रम में साक्ष्यों सहित दिनांक 07.06.23 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें जिससे शिकायती पत्र का निस्तारण किया जा सके।

Send
31/5/23
31/5/23

अधिशारी अगियन्ता
गोवृ0वि0प्रा0,
मथुरा

प्रतिलिपि- श्री जसवीर सिंह नि0-पी-23 श्री राधा पल्लोरेन्स कालोनी, वृन्दावन को निर्धारित समय में कार्यालय में साक्ष्यों सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधिशारी अगियन्ता

ANNEXURE - 2-6 (colly)

कार्यालय :-

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

12, सिविल लाइन्स, मथुरा।

www.mvda.com / acmvda@rediffmail.com



पत्र संख्या : 1454 म.व.वि.प्रा./2023-24

दिनांक : 26-09-23

फोन नं. : 0565-2471090, फैक्स : 2471577

वेबसाइट : www.mvda.in

शुभम,

श्री सुदीप अग्रवाल,
एस.जे.पी. ग्लोबल लि0,
जमुनाधाम, गोवर्धन चौराहा,
मथुरा।

विषय:- विल्डर एस.जे.पी. ग्लोबल लि0 द्वारा मानचित्र सं0-104/बी/2010-11 श्री राधा फ्लोरेंस के झूठे शपथ पत्र व विकास कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री जसवीर सिंह, डी-08 नटवर नगर धौलीप्याऊ, मथुरा द्वारा आई.जी.आर. सं0-40014523020197, 40014523020381, 40014523020959 के साथ संलग्न पत्र दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से की गयी शिकायत एवं क्षेत्रीय कार्यालय प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 65 ए, बल्देवपुरी, महोली रोड, मथुरा के पत्र सं0-718/जे-75/2023 दिनांक 11.07.2023 का संलग्न ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपने आई.जी.आर. शिकायत एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि मैं एस.जे.पी. ग्लोबल लि0 के विकासकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 04.06.2022 में घोषणा की गयी कि भूखण्ड सं0-B-04, B-05, B-06, C-17 व C-18 को मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के पक्ष में खेद किये गये हैं, जो मेरे द्वारा विक्रय नहीं किये गये हैं, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूखण्ड विकासकर्ता द्वारा विक्रय किये जा चुके हैं, जिसका विवरण नियंत्रण कार्यालय से प्राप्त कर अपने शिकायती प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया गया है, जो निम्न है:-

भूखण्ड सं0	लेखपत्र संख्या	खंड संख्या	दिनांक
B-05	4117	5455	
B-06	4170	5458	29.03.2013
C-17	15322	6796	29.03.2023
C-18	15882	6821	18.10.2014
			05.11.2014

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को दिये गये शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि विकसित की गयी कॉलोनी में रेनवाटर, ड्रवैस्टिंग, सॉलिड वेस्ट निस्तारण, कॉलोनी के चारों तरफ हरित परिटिका, कॉलोनी के पार्कों में पेड़, कॉलोनी में जल निकासी की व्यवस्था आदि न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिनों में अन्दर अधीनताधारी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि शिकायतकर्ता को अक्रांत कराया जा सके, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण कार्यालय में दिये गये झूठे शपथ पत्र एवं अपना विकास कार्य के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

(प्रस्तुत दिनेशी)
विशेष प्राधिकारी

JP REAL ESTATE LTD.

PROJECT SHRI RADHA FLORENCE VRINDAVAN, MATHURA

AREA DETAILS OF REVISED LAYOUT PLAN

TOTAL PLOT AREA	96696.89	100%
CULTIVABLE AREA	58050.35	59.82%
COMMUNITY BLDG.	198.58	0.21%
GREEN PARK AREA	14959.28	15.09%
ROADS AREA	23687.18	20.02%

S. NO.	DETAILS OF INTERNAL DEVELOPMENT	AMOUNT IN LAKSHS
1	ROAD-	98.74
2	PARK	32.32
3	SEWER	48.62
4	DRANGE	
5	WATER SUPPLY	15.5
6	WATER TANK	15.5
7	ELECTRIC SUPPLY	86.00
8	COMMUNITY BLDG.	12.2
9	RAIN WATER HARVESTING	3.5
10	TUBE WELL/PUMP ROOM	4.00
11	PUMPING STATION (WITH PIPE LINE)	8.00
	TOTAL	324.38

Mortgage land Area -

$$\frac{32438000}{7000.0} = 4634.0 \text{ ML}$$

/perm order D.M. arele fall
effective on 1-9-11

संलग्नक-1

कार्यालय :-

रा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण

32, सिविल लाइन्स, मथुरा।
- vcmvda2014@gmail.com / vcmvda@rediffmail.com



पत्र संख्या : 1564 /म.वृ.वि.प्रा./2023-24

दिनांक : 17 - 10 - 23

फोन नं. : 0565-2471090, फैक्स : 2471577

वेबसाइट : www.mvda.in

सेवामें,

श्री सुदीप अग्रवाल,
एस.जे.पी.ग्लोबल लि0,
जमुनाधाम, गोवर्धन चौराहा,
मथुरा।

अनुस्मारक-1

विषय:-विल्डर एस.जे.पी. ग्लोबल लि0 द्वारा मानचित्र सं0-104/वी/2010-11 श्री राधा फ्लोरेंस के झूठे शपथ पत्र व विकास कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिकायतकर्ता श्री जसबीर सिंह, डी-08 नटवर नगर धौलीप्याऊ, मथुरा द्वारा आई.जी.आर. सं0-40014523020197, 40014523020381, 40014523020336 एवं 60000230191319 का सन्दर्भ ग्रहण करे। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पूर्व पत्र सं0-1454/म.वृ.वि.प्रा./2023-24 दिनांक 26.09.2023 द्वारा आपको पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया था। परन्तु आप द्वारा आज दिनांक 17.10.2023 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि आप अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर साक्ष्य/अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें, जिससे कि शिकायतकर्ता की शिकायतों का निस्तारण किया जा सकें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(प्रसून द्विवेदी)
विशेष कार्यकारी

प्रसून

17/10/23

ANNEXURE - R-7

सेवा के

~~सेवा के~~

दिनांक - ११-०१-२०११

सचिव महोदय,
मयुरा वृक्षावन विकास प्राधिकरण
मयुरा,

विषय: श्री राधा वल्लभ कालोनी अनामिक सधवा १०५/१११०१
के आन्तरिक विकास कार्यों के अन्तर्गत है।

श्रीमान: आपसे अवगत करना है कि उक्त अनामिक की
स्वीकृति के समय इसके हाल प्रस्तुत एन्वीरॉनमेंट के
अनुसंधान कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

① Road work: उक्त परियोजना से सभी अडकोना
पूर्ण निर्माण कर दिया गया है।

② Pavement: कालोनी से सभी पार्क प्रकृति: विकसित
कर दिये हैं एवं आन्तरिक स्वीकृति शर्तों के
अनुसंधान पैड/वृक्षा भी लगाये जाये हैं।

③ Sewer: कालोनी के सम्पूर्ण सीवर लाइन
का निर्माण कर दिया गया है। एवं सीवर
लाइन का सर्वोच्च उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार
आकियोजना इन्फो (MUDRA) हाल कर दिया गया था।
विलम्ब सम्पूर्ण वेस्ट मैटेरियल इस सीवर लाइन के
द्वारा दूर गतव्य इ.त.प. लाए के जाया है।

④ Drainage: कालोनी से सभी ड्रेनेज लाइन
सम्पूर्ण कर दी गयी है।

⑤ Water supply: कालोनी की जल व्यवस्था
सुचारु रूप से चल रही है।

⑥ Water tank: कालोनी के जलपूर्ति के लिये
एक होवरहेड एवं एक कंस्ट्रक्शन
वाटर टैंक का निर्माण किया गया है।

एवं दोनों टैंक संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं

① Electrical Supply: विद्युत आपूर्ति के बिना निजली विभाग
हाल किया जाके एलडीएम के अनुसार सारे कार्य
पूर्ण कर दिये हैं.

② Community Building: कम्युनिटी बिल्डिंग का निष्ठा
एगटे हाल नहीं किया गया। जिसका निष्ठा
कार्य हाल ८ माह के अन्दर कर दिया जायेगा
वैदिक शक्ति है एवं आधुनिक शक्ति की निष्ठा
कराया है.

③ Rain water harvesting: सीढ़ी मानचित्र के अनुसार सभ
रूप वाला एलडीएम का निष्ठा कर
दिया गया है जो भी सुचारु रूप से कार्यरत
है।

④ Tube well/Pump Room: दूधवा वेल एवं पम्प रूम
का निष्ठा कर कर दिया गया है.

⑤ Pumping station with pipeline: पम्पींग स्टेशन एवं
पाइप लाइन का भी निष्ठा पूर्ण कर
दिया गया है.

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य की प्रगति
एवं सम्पन्नता का अपन सञ्चालन है. है

आपकी
एलडीएम के.के. उन्मत्त सिंह
Neesydam
अभिनेता एलडीएम

ANNEXURE-R-8

~~संलग्नक~~

सचिव महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-435 सन 2023 श्री जसबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि में पारित आदेश दिनांक 30-10-2023 के अनुपालन में जबाब दाखिल करने हेतु स्थल का निरीक्षण किया, आख्या निम्नवत् है-

1-एस0टी0पी0- यह कार्य राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी के एस्टीमेट का हिस्सा नहीं है। राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी का निरीक्षण किया तो कॉलोनी क्षेत्र में सीवर लाइन का विकास कार्य पूर्ण है।


प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी का मानचित्र स्वीकृत करते समय वाहय विकास शुल्क के रूप में ली गई धनराशि से राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी से लेकर प्राधिकरण की एस0टी0पी0 स्थित रुकमणी बिहार मथुरा तक मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर लाइन डाली हुई है जिसमें प्राधिकरण की सहमति से विकासकर्ता द्वारा राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी के सीवर लाइन को जोड़ा हुआ है। जिससे सीवररेज का निस्तारण हो रहा है। चूंकि सीवर लाइन के माध्यम से मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण की रुकमणी बिहार एस0टी0पी0 में संयोजन है। अतः अलग से एस0टी0पी0 की कोई आवश्यकता नहीं है।


2-वर्षा जल संचयन प्रणाली- यह कार्य राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी के एस्टीमेट का हिस्सा है। कॉलोनी के अवलोकन से विदित हुआ कि कॉलोनी में इस कार्य का होना पाया गया है।

3-कूड़ा/कचरा निस्तारण - यह कार्य राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी के एस्टीमेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन कॉलोनी का निरीक्षण किया तो कॉलोनी क्षेत्र में 04 बड़े डस्टविन अलग-अलग स्थान पर मौजूद हैं जिनमें डोर-टू-डोर क्लैक्शन होता पाया गया। इन बड़े डस्टविनों को नगर नियम द्वारा नियमानुसार निस्तारित किया जा रहा है।

4-हरित पट्टी - यह कार्य राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी के एस्टीमेट का इस प्रकार हिस्सा है कि पार्क विकसित करने का उल्लेख एस्टीमेट में मौजूद है। राधा फ्लोरेन्स कॉलोनी का निरीक्षण किया तो कॉलोनी क्षेत्र में पार्क विकसित है तथा बाउन्ड्रीवाल के साथ-साथ वृक्षारोपण का कार्य पाया गया।

आख्या उपरोक्तानुसार सादर प्रस्तुत है।


(अनिल सिंघल)
अवर अभियन्ता,
म0वृ0वि0प्रा0 मथुरा।
दिनांक 19-1-2024



IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 435/2023

IN THE MATTER OF:

Jasbir Singh

... Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

... Respondents

VAKALATNAMA

KNOW ALL to whom these present shall come I, Mathura Vrindavan Development Authority through its Secretary- Respoñdent No. 03 in above mentioned matter do hereby appoint

RACHIT MITTAL

MZ-24 & 25, ANSAL FORTUNE ARCADE, SECTOR 18, NOIDA- 201 301, U.P.

Ph: (+91) 9873997047

Email: rachit@rmlawchambers.in

(herein after called the advocate/s) to be my / our Advocate in the above – noted case authorize him:-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High Court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objection or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subjects to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences of disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/we undersigned to hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/we undertake that I/We or my/our duly authorized agent would appear in court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/we undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us.

IN WITNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us on this 24th Day of January, 2024

Accepted subject to the terms of the fees.

Rachit Mittal
D/1041/2011

सचिव
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा